Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 13, Issue No. 2, July-2017, ISSN 2230-7540

शिक्षा में मीडिया का योगदान

Deepak Rathee*

Assistant Director, Creedesh Media Solution Pvt. Ltd., New Dehli

----------X----------

ऐसे साधन जिसके माध्यम विभिन्न प्रकार की सूचनाएं, खबरों आदि को दूर–दराज के इलाकों में लगभग हर व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश की जाए इन माध्यमों को जनसंचार कहते हैं। इसके अंतर्गत रेडियो, दूरदर्शन, समाचार, पत्र–पत्रिकाएं, इंटरनेट, सोशल मीडिया आदि आते हैं तथा जब इन माध्यमों का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है तो इनको शिक्षा के साधन कहा जाता है। इस रूप में ये शिक्षा के औपचारिक या अनौपचारिक साधन कहलाते हैं। शिक्षा के इन साधनों के उपयोग से शिक्षा से जुड़े अनेक प्रकार के उद्देश्यों अथवा शैक्षिक कार्यों को पूरा करने की कोशिश की जाती है। जैसे राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में सबके लिए शिक्षा पहुंचाने का कार्य, शिक्षा का अधिकार कानून को सही तरह लागू करवाने का कार्य या रेडियो, दूरदर्शन आदि के माध्यम से सामाजिक नाटकों के प्रसारण से सामाजिक चेतना विकास या सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रदर्शन से संस्कृति से परिचय व संस्कृति का संरक्षण आदि।

यह शिक्षा का बहुत ही शक्तिशाली साधन है। इन्हें तेजी से पहुँचाने वाले या द्रुतगामी साधनों के रूप में देखा जा सकता है।

शिक्षा के क्षेत्र में महत्व व आवश्यकता

हमारे पूरे समाज में जनसंचार का महत्व और आवश्यकता बहुत अधिक है।

1. जनसंचार के माध्यमों से सभी को शिक्षा पहुँचा कर संविधान में शिक्षा के मूलभूत अधिकार के राष्ट्रीय महत्व को पूरा करना
2. दिन–प्रतिदिन देश–विदेश की घटनाओं से जनसामान्य को परिचित कराना।
3. देश के विभिन्न भागों की संस्कृति से जुड़े कार्यक्रमों के प्रदर्शन द्वारा जन सामान्य को अपने देश की संस्कृति से परिचित कराना।
4. समाचार आदि के प्रसारण से जन सामान्य को एक सजग व सचेत नागरिक बनाना।
5. जन सामान्य की सूचनाओं को शीघ्रता से दूर–दूर तक पहुंचाना।
6. शिक्षा के स्तर में सुधार की दृष्टि से औपचारिक शिक्षा से संबद्ध कठिन संकल्पना वाले या अधिक साधनों के प्रयोग वाले पाठों के प्रदर्शन से पाठों को सभी के लिए उपलब्ध करवाना।
7. कक्षा में इनके प्रयोग से पाठ्य पुस्तक को सरल व मनोरंजक बनाना आदि आदि।

ऊपरलिखित अनेक बिंदुओं के आधार पर हम इनके महत्व को समझ सकते हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में इन जैसे अनेक तत्वों की आवश्यकता भी है। इसलिए इनके प्रयोग के महत्व को भी समझा जा सकता है।

1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार "आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी से यह संभव हो गया है कि पहले की दशाब्दियों में शिक्षा को जिन अवस्थाओं और क्रमों से गुजरना पड़ता था उनमें से कईयों को लांघकर आगे बढ़ा जाए। इस टैक्नोलॉजी से देश और काल के बंधनों पर काबू पा सकना संभव हो गया है। हमारा समाज दो खंडों में बंटा न रहे, इसके लिए आवश्यक है कि प्रौद्योगिकी संपन्न वर्गों के साथ–साथ उन क्षेत्रों में पहुंच जो इस समय अधिक से अधिक अभावग्रस्त है।"

संचार माध्यमों के ज्ञान को सर्वसुलभ बनाने की दृष्टि से बहुत अधिक महत्व है। इसी कारण इसकी जरूरत को महसूस किया गया। देश की सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस ओर विशेष ध्यान दिया गया। इसके महत्व तथा जरूरत को स्वीकारते हुए विचार किया गया कि विभिन्न प्रकार के बिजली के चलने वाले उपकरण कम से कम शैक्षिक दूरदर्शन दूरदराज के इलाकों में भी पहुंचे। हमारी राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा संबंधी संस्थान "राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद से जुड़ी केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान का प्रमुख कार्य विभिन्न प्रकार के जनसंचार के माध्यम से प्रसारित किये जाने वाले शैक्षिक कार्यक्रमों का निर्माण करना है। जनसंचार के महत्व को प्रमुख रूप से दार्शनिक दृष्टि से शिक्षा के लक्ष्यों को पूरा करने, तथा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पाठ्यवस्तु अथवा सूचनाओं को सरल, मनोरंजन रूप से पहुँचने की दृष्टि से देखा जा सकता है।"

1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग उपयोगी जानकारी के लिए, अध्यापकों के प्रशिक्षण और पुनः प्रशिक्षण के लिए शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए और कला और संस्कृति के प्रति जागरुकता और स्थाई मूल्यों के संस्कार उत्पन्न करने के लिए किया जाएगा। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा में इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग होगा। मौजूदा व्यवस्थाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाया जाएगा। जिन गांवों में बैटरी नहीं है वहां प्रोग्राम चलाने के लिए बैटरी अथवा सौर ऊर्जा पैक से काम लिया जाएगा।

शैक्षिक टेक्नोलॉजी के द्वारा मुख्य रूप से ऐसे कार्यक्रमों का निर्माण होगा जो प्रासंगिक हो और सांस्कृतिक रूप में संगत

www.ignited.in

हो। इस उददेश्य के लिए देश में विद्यमान सभी संसाधनों का उपयोग किया जाएगा।

जनसंचार माध्यमों का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है।

1. विभिन्न प्रकार की सूचनाएं देना।
2. जन सामान्य को जागरुक बनाना।
3. कठिन संकल्पनाओं को सरल व व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करना
4. मनोरंजन करना
5. समस्याओं व उसके निदान को प्रस्तुत करना।
6. सूझबूझ उत्पन्न करना
7. विभिन्न घटनाओं पर अपना मत बनाने की उत्सुकता पैदा करना।
8. जिज्ञासा, कल्पनाशक्ति एवं सृजनात्मकता को पैदा करना।
9. व्यावहारिकता से सिद्धांतों को जोड़ना तथा व्यवहार में परिवर्तन लाना।
10. समाज तथा व्यक्ति से एक दूसरे को पास–पास लाना।
11. अंतर्राष्ट्रीय मंच से व्यक्ति को जोड़ना
12. किसी सामाजिक अथवा अन्य विषय पर विशेषज्ञों की चर्चा करना।
13. विभिन्न समस्याओं पर विशेषज्ञों की सलाह दिलाना।
14. मानव को विभिन्न प्रकार के विषयों की जानकारी देकर उसे निरंतर शिक्षा से जोड़े रखना यानी शिक्षा को वास्तविक रूप में आजीवन शिक्षा का रूप देना।
15. जन सामान्य को सामान्य कानूनी शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा. विकलांगों की समस्याओं व शिक्षा की जानकारी देना।
16. ऐसे स्थानों, कार्यों, वस्तुओं से जनता को परिचित कराना जो उनकी पहुंच से दूर हैं। आदि–आदि।

सूचना और विचारों का प्रसार व संचार के आधुनिक साधनों द्वारा मनोरंजन प्रदान करना जनसंचार है। इसके तहत इलैक्ट्रानिक और प्रिंट दोनों ही माध्यम आते हैं। संचार के परंपरागत साधन आधुनिक समाज को परिवर्तित परिस्थितियों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में इतने समर्थ नहीं रहे हैं। इसीलिए तीव्र गति से सूचना संप्रेषण के कार्य को संपन्न करने हेतु संचार के नये–नये माध्यमों की खोज होती रही है और हो रही है। जनसंचाार में सूचना का अभूतपूर्व प्रभाव है, अगर सूचना न हो तो संचार का कोई अस्तित्व एवं महत्व नहीं होगा।

समाचार–पत्र, पत्रिकाएं, टेलीविजन, रेडियो, विज्ञापन फिल्म आदि जनसंचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समाचार पत्र उद्योग जिसके तहत दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, संपादन, उत्पादन और वितरण हेतु सूचना प्रौद्योगिकी की परिष्कृत आधुनिकतम विधियों को प्रयोग में लाते हैं। इलेक्ट्रानिक माध्यमों के तहत रेडियो एवं टेलीविजन।

सूचना प्रसारण माध्यम आदि आज राजनैतिक और आर्थिक शक्ति के महत्वपूर्ण और शक्तिशाली साधन माने जाते हैं। जनसंचार के माध्यमों का प्रमुख कार्य मनोरंजन, विभिन्न घटनाओं एवं क्रिया–क्लापों को सूचना समाज के सार्वजनिक हितों को विभिन्न संदर्भों में प्रस्तुत करना है। विश्वस्तर पर यह एक प्रभावी उपकरण है। विभिन्न पश्चिमी देशों ने अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए रेडियो और टेलीविजन का नेटवर्क विकसित कर दिया है जिसका विकसित देश लाभ उठा रहे हैं। विकासशील देश इससे संशंकित हैं फिर भी पिछले कुछ वर्षों में एशिया के कुछ देशों और भारतीय टेलीविजन ने एशियन और भारतीय टेलीविजन नेटवर्क स्थापित कर समाचार, समीक्षा, मनोरंजन और अन्य जनसामान्य के कार्यक्रम का प्रसारण आरंभ कर दिया है। सूचना और संचार जगत को और उन्नत बनाने की दिशा में विकासशील देशों द्वारा प्रयत्न किये जा रहे हैं।

कक्षा में इस्तेमाल :–

आज रेडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट आदि के द्वारा कक्षा के भीतर भी बच्चों को अनौपचारिक रूप से उनके पाठों से जोड़ा जाता है। इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय के बहुत सारे शिक्षा से जुड़े हुए कार्यक्रम इस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये कार्यक्रम विद्यार्थियों के साथ–साथ जनसामान्य के लिए भी उतने ही जरूरी व लाभप्रद हैं। आकाशवाणी के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम अध्यापकों के लिए उच्च माध्यमिक बच्चों के लिए, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए तथा छोटे बच्चों के लिए तथा विभिन्न स्तर के बच्चों की परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही लाभकारी है। ये कार्यक्रम प्रातः व सांय दोनों समय पर प्रसारित किये जाते हैं। इन कार्यक्रमों से संबद्ध सूचनाएं भी जन सामान्य के लिए उपलब्ध हैं। इसी प्रकार दूरदर्शन पर भी विद्यालयों से जुड़े कार्यक्रमों का प्रदर्शन होता है। इन कार्यक्रमों में विज्ञान के प्रयोगों का प्रदर्शन तो विज्ञान शिक्षण को एक सार्थकता देता है। ये विभिन्न प्रकार के प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम सभी के विषयों तथा समाज विज्ञान, विज्ञान गणित, अर्थशास्त्र आदि से जुड़े होते हैं जो एक प्रकार से बच्चों को सूझबूझ तो देते ही हैं साथ ही ज्ञान को बच्चों तक पहुंचाते हैं। कक्षा के अंदर इसका शिक्षा की तकनीक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। कक्षा में समाचार पत्र, पत्र–पत्रिकाओं आदि की सहायता से शिक्षण जहां विषय को जीवंत बनाता है वहीं बच्चों का समाज से भी जुड़ाव होता है। अलग–अलग तरह के शोध ने कक्षा के भीतर व कक्षा के बाहर इन साधनों के प्रयोग का मूल्यांकन किया व पाया कि शिक्षा के साधन के रूप में इनके परिणाम उत्साहवर्धक हैं। वस्तुतः जिस प्रकार और जिस तेजी से ज्ञान का विस्तार हो रहा है उस संपूर्ण ज्ञान को कक्षा के भीतर दे पाना अध्यापक के लिए मुश्किल काम है। अध्यापक की भी अपनी सीमाएं हैं। इसलिए जन संचार के माध्यम औपचारिक कक्षाओं के पूरक के रूप में काम करते हैं। ये वास्तविक रूप में व्यक्ति और समाज को आपस में जोड़ते हैं परंतु फिर भी इनकी अपनी सीमाएं हैं।

कुछ सीमाएं इस प्रकार हैं।

1. ये माध्यम एकतरफा साधन की भूमिका निभाते हैं।
2. यद्यपि ये औपचारिक साधन हैं। जन सामान्य इन्हें अपनी इच्छानुसार देख सकते हैं, परंतु अप्रत्यक्ष रूप में ये भी निश्चित समय से बंध हुए हैं सभी कार्यक्रम नियत दिन निश्चित समय पर प्रसारित होते हैं।
3. अनेक बार ये कार्यक्रम विशिष्ट वर्ग के लिए प्रसारित होते हैं परंतु जब दूसरे भी इसे देखते हैं तो उसका विपरीत प्रभाव भी पड़ता हैं।

4. एक बार कार्यक्रम निकल जाने पर उसे पुनः सुनना या देखना बहुत मुश्किल होता है।

5. कई बार कार्यक्रम जन सामान्य की समझ से बाहर होते हैं।

6. इनमें संवाद की स्थिति का अभाव होने पर कई बार इन्हें देखने सुनने या पढ़ने के बाद व्यक्ति तनावग्रस्त भी हो जाते हैं पर इसका इन माध्यमों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

7. अनेक बार ये किसी वर्ग विशेष के अनुभवों से बाहर हो जाते हैं।

8. अनेक बार ये इतने अव्यवस्थित होत हैं कि इन्हें एक उद्देश्य के रूप में समझ पाना कठिन होता है।

9. अधिकतर जन सामान्य की रुचियों, आवश्यकताओं आदि की अपेक्षा होती रहती है।

हमारे जैसे देश में विकास कार्यक्रमों और नीतियों के बारे में जनता में जागरुकता पैदा करने में जनसंचार के विभिन्न माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इससे जनता को प्रेरणा मिलती है कि वे राष्ट्र निर्माण कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लें इसलिए इस बात की चेष्टा की जा रही है कि एक ओर देश के परंपरागत तथा लोक माध्यमों और दूसरी ओर उपग्रह संचार जैसे आधुनिक दृश्य श्रव्य माध्यमों मे कुशल समन्वय स्थापित किया जाए।

वर्ष 2002–03 को भारतीय उद्योग परिसंघ ने मल्टीमीडिया वर्ष के रूप में घोषित किया मीडिया क्षेत्र में अनेक नीति संबंधी फैसले 2000 के वर्ष में किए गए जिनका उद्देश्य तेजी से बदलते मडिया परिदृश्य की चुनौतियों का सामना करना था। जिसमें प्रस्ताव पास हुआ कि डीटीएच सेवाओं का खोला जाना, अपलिकिंग नीति का उदारीकरण, रेडियो का एफ एम सेवाओं का निजी प्रसारकों के लिए खोलना, पत्र सूचना कार्यालय आदि का प्रारूप तैयार करना प्रमुख है।

डी. टी. एच वह सेवा है जिसके माध्यम से उपग्रह प्रणाली का प्रयोग करते हुए के.यू. बैंड पर विविध चैनलों पर चलने वाले टीवी कार्यक्रमों का इस सेवा के उपभोक्ताओं को सीधा प्रसारण किया जाता है। अपलिंकिंग नीति को उदार बनाया गया। जिसका अर्थ है कि टीवी चैनलों को भी भारत से अपने कार्यक्रम अपलिंकिंग करने की अनुमति प्रदान की गई। इसी प्रकार रेडियो सेवाओं में विविधता लाने और मनोरंजन में विकल्प उपलब्ध कराने के लिए 40 शहरों में 100 एफएम रेडियो स्टेशन 2001 से आरंभ किए गए। पत्र सूचना कार्यालय में एक डाटा वेबसाइट शुरू की है। इसको प्रतिदिन उद्यतन किया जाता है। इससे पत्र सूचना कार्यालय के सभी संवादों, विशेष लेखों, विविध संदर्भ सामग्री आदि को बिना किसी मध्यवर्ती सॉफ्टवेयर के डाउनलोड किया जाता है।

इस शताब्दी में संचार के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी परिवर्तन के प्रमुख बदलाव कंप्यूटर के कारण संभव हुआ है। दूरसंचार, सड़क, विमान यात्रा आदि के साथ–साथ शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का महत्वपूर्ण योगदान है। कंप्यूटर के प्रयोग ने विश्व को छोटा कर दिया है। कंप्यूटर हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर दोनों रूपों में एक जरूरी मशीन है। सूचना प्रौद्योगिकी का सफल प्रयोग कंप्यूटर संचार नेटवर्क है। देश को कोने–कोने से जोड़ने के लिए निकनोट, इडोनेट, एसनेट व आईनेट जैसे राष्ट्रव्यापी कंप्यूटर संचार नेटवर्क स्थापित किये गए। इनका प्रयोग रेलवे व विमान आरक्षण प्रणाली, बैकिंग व्यवस्था, संसद व विधानसभा चुनाव प्रसारण एवं विकास सम्बन्धी आंकड़ों का आधार तैयार करने में अनवरत किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका प्रयोग ज्ञान को जन–जन तक सुलभ कराने में किया जाता है। जिसमें इंटरनेट अत्यधिक सहायक है। इंटरनेट के बढ़ते अनुप्रयोग ने भौगोलिक दूरियों को कम कर दिया है। इस प्रकार नई प्रौद्योगिकी का वैश्वीय प्रभाव मनुष्य की अंतहीन समस्याओं का समाधान करने की ओर प्रयासरत है। इंटरनेट वास्तव में ऐसे कंप्यूटरों की प्रणाली है जो सूचना लेने और उसके आदान–प्रदान के लिए आपस में जुड़े हैं। यह लाखों–करोड़ों कंप्यूटरों को जोड़ने वाला विश्वव्यापी संजाल है। 100 से अधिक देश आज आंकड़ों, समाचारों और संपत्तियों के आदान प्रदान के माध्यम से परस्पर जुड़े हैं। इसका उद्देश्य ऐसे संचार नियम बनाना है जिसमें नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर बहुसंयोयित पैकेट संजालों से सूचना को साफ–सुथरे ढंग से ले दे सके। यह अंतर नेटिंग परियोजना कहलाती है। इस अनुसंधान से प्रोटोकाल प्रणाली विकसित हुई जो प्रारंभ में दो प्रोटोकालों अर्थात प्रेषण नियंत्रण प्रोटोकाल (टीसीपी) और अंतर प्रोटोकाल (आईपी) के नाम से जानी गई।

अमेरिका द्वारा विकसित एन.एस.एफ. इंटरनेट के लिए प्रमुख संचार सेवा बन गई। विश्वव्यापी वैव (डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू) का विकास विश्वव्यापी संचार के लिए सर्न में किया गया जो स्विटजरलैंड में कण भौतिकी का संस्थान है। इस प्रकार इंटरनेट हजारों मील दूर बैठे लोगों के साथ बातचीत का सुरमय माध्यम एवं किसी विषय पर कहीं से भी सूचना प्राप्त करने का मूल्कांयन स्त्रोत है। बिना परस्पर संपर्क भी सुदूर स्थानों में ई–मेल से संदेश तेजी से कम खर्च में भेजे जा सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण तथा यह है कि विभिन्न देशों के समय वैभिन्य और टेलीफोन से संपर्क न होने की पीड़ा से बचा जा सकता है।

शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग

सूचना नेटवर्क का प्रयोग भारत जैसे विकासशील देश में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके पास संसाधनों की कमी की समस्या रहती है। भारत में पुस्तकालय अपने संसाधनों का मिल जुलकर प्रयोग कर रहे हैं।

लाइब्रेरी नेटवर्क– इसकी मुख्य तीन श्रेणियां हैं

1. मैट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क– (मैन) मुंबई में (बोमनेट) कलकत्ता में कैलिबनेट मद्रास में (मैलिबनेट) पुणे में (पुणे नेट) और अहमदाबाद में (एडिनेट)

2. देशव्यापी नेटवर्क– जैसे विश्वविद्यालयों और कालेजों के लिए इनफिलवनेट

3. क्षेत्रीय सुविधाएं– जैसे बायोटेकनोलोजी इंफार्मेशन सिस्टम नेटवर्क (बीटिसनेट)

डेलनेट– दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क – यह जनवरी 1988 से काम कर रहा है। 1992 में इसे एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य नेटवर्क लाइब्रेरी प्रणाली का विकास करके पुस्तकालय के बीच संसाधनों का मिल जुल कर प्रयोग सुनिश्चित करना। इसमें पुस्तकों का यूनियन कैटलाग, समसामयिक पत्रिकाओं की यूनियन लिस्ट व

उनका यूनियन कैटलोग, सीडी रोम डेटाबेस प्रकाशित हो रही पुस्तकों का डेटाबेस एवं शोध प्रबंध व लघु शोध प्रबंधों का डेटाबेस आदि आंकड़ों को अपटूडेट किया जा रहा है और इसमें तेजी से बढ़ोतरी की जा रही है।

बोनेट (बोंम्बे लाइब्रेरी नेटवर्क) – निस्सैट के प्रयासों से इसकी स्थापना 1994 में हुई। बोनेट का मुख्य उददेश्य कंप्यूटर और साफ्टवेयर टेक्नालॉजी पर ग्रंथ सूची डेटाबेस तैयार करना, मुंबई के विभिन्न पुस्तकालयों में उपलब्ध पत्रिकाओं का यूनियन कैटलाग तैयार करना। बोनेट ने आनलाइन कैटलॉग के तौर पर एक साफ्टवेयर सूची भी तैयार की है।

कैलिबनेट (कलकत्ता लाइब्रेरी नेटवर्क) कैलिबनेट की स्थापना 1994 में निस्सैट की सहायता से कैलिवनेट सोसायटी के तहत की गई। इसके मुख्य कार्य कंप्यूटर आधारित पुस्तकालय स्वचालन और नेटवर्किंग के जरिये कलकत्ता के संस्थागत पुस्तकालयों के सामूहिक हितों की पूर्ति करना व कलकता के संस्थागत पुस्तकालयों के बीच सहयोग और दस्तावेज का वितरण बनाए रखना है।

एडिनेट (अहमदाबाद लाइब्रेरी नेटवर्क) एडिनेट की स्थापना निस्सैट के वितीय सहयोग से 1995 में की गई थी। जो अहमदाबाद के गुजरात विवि परिसर में बनाया गया है। इसका उद्देश्य अहमदाबाद के 150 से अधिक पुस्तकालयों और सूचना केंद्रों के बीच सहकारी कार्य प्रणाली विकसित करना है। यहाँ आन लाइन सूचना खोज, अंतर पुस्तकालय ऋण, सीएएस और ईमेल जैसी सेवांएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

इनफिलबनेट (इनफारमेभान एंड लाइब्रेरी नटवर्क) इनफिलबनेट विवि अनुदान आयोग द्वारा 1991 में प्रारंभ किया गया यह एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसका मुख्यालय अहमदाबाद में गुजरात विवि परिसर में स्थित है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधीन यह एक स्वतंत्र और स्वायत्त विश्वविद्यालय केंद्र बन चुका है। अत्याधुनिक टैक्नालॉजी के उपयोग से देशव्यापी तेज रफ्तार नेटवर्क स्थापित करके देश में समस्त पुस्तकालयों और सूचना केंद्रों को जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं।

रिसर्च एवं एजुकेभान नेटवर्क आफ एनआईसी (रेनिक) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का अनुसंधान और शिक्षा नेटवर्क भारत में अनुसंधान तथा शिक्षा संस्थाओं और चिकित्सा संस्थानों के लाभ के लिए गठित कार्यक्रम मूलक संगठन है जिसकी स्थापना शैक्षणिक तथा अनुसंधान गतिविधियों में लगे लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की गई है। इसका उद्देश्य निकनेट के द्वारा शैक्षिक, अनुसंधान और चिकित्सा संस्थाओं पर कंप्यूटर संप्रेषण सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

एन. आई. सी. परियोजना– इस योजना पर अखिल भारतीय शिक्षा परिषद और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र मिलकर कार्य कर रहे हैं।

बायोटेक्नालॉजी इंफार्मेभान सिस्टम नेटवर्क– (बीटीआईएम) इस प्रणाली की स्थापना भारत सरकार के बायो टेक्नालॉजी विभाग ने नेटवर्क संगठन और डेटाबेस के तौर पर की थी।

इंटरनेट संसाधन– आज अनेक भारतीय संगठन इंटरनेट पर सूचना उपलब्ध करा रहे हैं। विश्वविद्यालय, शैक्षिक संस्थाएं, अनुसंधान संस्थान केंद्र। राज्य सरकारों के विभाग निर्वाचन आयोग और विभिन्न राजनैतिक पार्टियां अपनी–अपनी वेबसाइट खोल रहे हैं। विश्वविद्यालय, शैक्षिक संस्थाएं अनुसंधान संस्थान केंद्र राज्य सरकारों के विभाग निर्वाचन आयोग और विभिन्न राजनैतिक पार्टियों ने अपनी–अपनी वेबसाइट खोल रखी है। विश्व की अनेक पुस्तकालयों की अपनी वेबसाइट है जिसमें ऑनलाइन कैटलाग, ग्रंथ सूचियां तथा पत्र–पत्रिकाएं के संपूर्ण पाठ व सूचनाएं उपलब्ध हैं। इंटरनेट पर व्यापारिक सूचनाएं तथा नए उत्पादों से संबंधित जानकारी व निवेश की संभावनाओं और अवसरों के विषय में सूचनाएं वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

आज शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीक ने अभूतपूर्व क्रांति लाई है। आज हम घर बैठे ही संसार के प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों की उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं। संसार भर में इंटरनेट द्वारा शैक्षिक रूझान बदल रहे हैं। प्रौद्योगिकी का प्रयोग महत्वपूर्ण सुधार कर दिखाने की क्षमता रखता है। आज के वातावरण में कई नई तकनीक शिक्षा के क्षेत्र में आ गई हैं। जैसे मल्टीमीडिया, सैटेलाइट संचार, इंटरनेट, ईमेल, शैक्षिक दूरदर्शन, शैक्षिक रेडियो, चलचित्र, टेलीकान्फ्रेसिंग आदि तकनीक आज समाज में मौजूद है। प्रत्येक समाज, राज्य अथवा देश के अपने कुछ विश्वास आदर्श, मूल्य हैं लक्ष्य तथा लक्ष्य को प्राप्त करने को योजनाएं होती हैं। वह इनको प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयत्न करता है। इन आदर्शों व मूल्यों को जन–जन तक पहुंचाने के लिए समाज द्वारा विभिन्न साधनों का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं साधनों के माध्यम से समाज में चेतना जाग्रत की जाती है और जनमत तैयार किया जाता है। इसीलिए इन्हें जनसंचार के साधन कहा जाता है।

जनसंचार का मतलब सूचना, विचार और मनोरंजन को संचार माध्यमों द्वारा व्यापक स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति के पास पहुंचाने का प्रयास करना है। जार्ज.ए. मिलर का कहना है कि सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना ही जनसंचार कहलाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जनसंचार का अर्थ उन समस्त साधनों से है जो सूचना, विचारों और मनोरंजन को देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाते हैं। इन साधनों के द्वारा ही बहुत कम समय में एक साथ बहुत अधिक लोगों तक अपने विचारों को पहुंचाया जा सकता है। जनसंचार के लिखित साधनों के अंतर्गत समाचार पत्र पुस्तकें, पत्र–पत्रिकाएं, बुकलेट्स एवं पंपलेट्स आदि आते हैं। जनसंचार के लिखित साधनों में दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक समाचार पत्र एवं विभिन्न प्रकार की पत्रिकाएं तथा सरकार के विभिन्न विभागों जैसे, पंचायत, कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य एवं सूचना आदि के द्वारा प्रकाशित बुकलेट्स व पंपलेट्स आते हैं। इसी प्रकार लिखित जनसंचार के साधनों में शिक्षा संबंधी पत्र–पत्रिकाएं बुकलेट्स एवं पंपलेट्स होती हैं। इस प्रकार से इन साधनों मे मनुष्य जीवन से संबंधित सभी पक्षों पर लेख, विचार एवं सूचनाएं प्रकाशित होती हैं। शैक्षिक दृष्टि से इसका बहुत अधिक महत्व होता है।

लिखित जनसंचार के लाभ– लिखित साधन बालकों के शारीरिक विकास में सहायता करते हैं। इसमें स्वास्थ्य योग, विभिन्न रोगों के उपचार एवं उनसे बचाव संबंधी ज्ञान को प्रकाशित कर छात्रों को लाभ पहुंचाया जा सकता है। इन साधनों के अंतर्गत समाचार पत्रों व पत्रिकाओं की भाषा परिमार्जित होती है तथा विषय सामग्री को तार्किक क्रम में प्रस्तुत किया जाता है। इससे विद्यार्थियों की भाषा तथा तर्कशक्ति का विकास होता है। लिखित माध्यमों से विद्यार्थियों की मानसिक दृष्टि से विकास होता है। लिखित साधनों के विभिन्न पक्षों, विविध पक्षों, विविध ज्ञान–विज्ञान समाज सेवा के क्षेत्र और विधियों की चर्चा की जाती है। अतः इन सबके अध्ययन से बच्चों का सामाजिक विकास होता है। लिखित माध्यमों से विद्यार्थियों को देश–विदेश की संस्कृति के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है। लिखित माध्यमों में देश–विदेश के महापुरुषों की जीवनियां प्रकाशित होती हैं जिनके अध्ययन से विद्यार्थियों का चारित्रिक व नैतिक विकास होत है। लिखित

माध्यमों के माध्यम से पाठकों को विभिन्न व्यवसाय, उद्योगों तथा आर्थिक नीतियों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है जिससे उनका व्यावसायिक विकास होता है। लिखित माध्यमों में प्रकाशित धर्म व अध्यात्म संबंधी लेखों के अध्ययन से पाठकों का आध्यात्मिक विकास होता है। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बोध संबंधी लेखों से विद्यार्थियों में राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय सद्भावना का विकास होता है।

लिखित जनसंचार साधनों की सीमाएं– लिखित साधनों के लाभ होने के साथ–साथ उनकी कुछ हानियां या सीमाएं भी हैं। इनको सिर्फ पढ़े–लिखे व्यक्ति ही पढ़ सकते हैं। अनपढ़ इसका कोई फायदा नहीं उठा सकते। इनके द्वारा अध्ययन करने वाले और करवाने वाले के बीच कोई अंतःक्रिया नहीं होती। छोटे बच्चे इन साधनों से कम लाभान्वित होते हैं, पढ़ने वालों की समस्या का उसी समय समाधान नहीं होता।

जनसंचार के इलेक्ट्रोनिक साधन– जनसंचार के इलेक्ट्रॉनिक साधनों में रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट और चलचित्र का बहुत महत्व है। इन साधनों से आज शिक्षा भी प्राप्त की जा रही है। शिक्षा की दृष्टि से जनसंचार क ये साधन दोहरी भूमिका निभाते हैं जिसमें जो कार्यक्रम ये प्रसारित करते उनका हमारे जीवन से सीधा संबंध है तथा हमको इन कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त होता है। ये साधन अनौपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में माध्यम के रूप में रेडियो, टेलीविजन व चलचित्र का शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान हैं।

आकाभावाणी या रेडियो:– रेडियो या आकाशवाणी इस सदी का सबसे सस्ता व अच्छा जनसंचार का साधन है। इस पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम औपचारिक तथा निरौपचारिक शिक्षा से संबंधित होते हैं। इसकी गति असाधारण और दुनिया के किसी भी कोने में इसकी आवाज पहुँचते देर नहीं लगती। एक पल में संसार के कोने–कोने से समाचार रेडियो द्वारा लोगों को प्राप्त होते हैं। यूएसए और अन्य पाश्चात्य देशों में प्रत्येक घर में रेडियो है। हमारे देश में भी रेडियो की संख्या में असाधारण वृद्धि हो गई है तथ ट्रांजिस्टर तो गांवों में भी घर–घर में अपनी आवाज सुना रहे हैं। अब तो मोची, धोबी, जुलाहा, नाई, रिक्शाचालक आदि अपने कार्य के समय ट्रांजिस्टर बजाते रहते हैं। प्रशासन की ओर से भी ग्राम पंचायतों को रेडियो सेट प्रदान किये गये हैं। जिसका उद्देस्य जनतन्त्र के सिद्धांतों और उसके प्रति जनता के कर्तव्यों का ज्ञान कराना है। शिक्षा के नजरिये से रेडियो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। 1 सामान्य कार्यक्रम 2. शैक्षिक कार्यक्रम। रेडियो पर सामान्य कार्यक्रमों के अलावा अनेक शैक्षिक कार्यक्रमों का भी प्रसारण किया जाता है। हमारे देश में इस प्रकार के प्रसारण का शुभारंभ बीबीसी लंदन से प्रसारित अंग्रेजी भाषा शिक्षण के पाठों के प्रसारण से हुआ था। आज आकाशवाणी से अनेक भाषाओं के शिक्षण का क्रमबद्ध कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है। इसके साथ–साथ रेडियो पर स्कूल विषयों पर विद्वान व्यक्तियों के व्याख्यान एवं चर्चा भी प्रसारित होती है। प्रौढ़ शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, जीवनपर्यन्त शिक्षा के क्षेत्र में रेडियो का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है।

रेडियो के लाभ– आकाशवाणी या रेडियो द्वारा जल्द से जल्द संसार के किसी देश में घटी घटना का ज्ञान हो जाता है। समाचारों के अतिक्ति हमें अन्य आयोजनों के वर्णन, सभाओं अथवा विधानसभाओं में दिए गए भाषणों और उनमें की गई घोषणाओं को भी सुनने का अवसर मिलता है। संगीत, प्रहसन नाटक तथा व्यावसायिक विज्ञापनों के विषय आदि की भी जानकारी होती है। रेडियो से समाचार सुनने वाले अपने साथ घटनाओं की निकटता का आभास, अनुभव करते हैं। रेडियो सुनने वालों में संवेगात्मक प्रेरणा उत्पन्न करता है। बालकों के चरित्र को रेडियो द्वारा शिक्षित किया जा सकता है। आकाशवाणी या रेडियो द्वारा किसी भी महान आविष्कारक, समाज सुधारक, राजनीतिज्ञ अथवा विद्वान की आवाज कक्षा में लाई जा सकती है। विचार विमर्श के संदर्भ में स्थान की दूरी का रेडियो के कारण कोई भी महत्व नहीं रह गया है और व्यक्ति संसार के किसी भी कोने में रहने वाले व्यक्ति से बातचीत कर सकता है। रेडियो द्वारा शिक्षण कला को रोचक बनाया जा सकता है। रेडियो द्वारा शिक्षण कला को रोचक बनाया जा सकता है और छात्रों के विशाल समूह को एक साथ शिक्षा दी जा सकती है।

रेडियो की शैक्षिक सीमाएं– रेडियो की शैक्षिक उपयोगिता निस्संदेह महत्वपूर्ण है पर इसकी कुछ सीमाएं हैं। रेडियो शब्दमार्गी व्यवस्था है यानि उससे हम केवल सुन सकते हैं अपने विचार नही प्रकट कर सकते। इसलिए इससे एक पक्षीय शिक्षा होती है। भारत में गरीबी अधिक होने के कारण अभी भी रेडियो इतना सस्ता और आसान नहीं कि स्कूल की प्रत्येक कक्षा में इसकी व्यवस्था की जा सके । इसके महत्वपूर्ण कार्यक्रम अधिकांशतः उस समय होते हैं जब स्कूल बंद होते हैं। टेप रिकार्ड द्वारा यह समस्या हल अवश्य की जा सकती है परंतु टेप रिकार्डर स्वयं रेडियो से महंगा होता है।

रेडियो द्वारा दी जा गई भिाक्षा का उद्देभय– रेडियो द्वारा शिक्षा में सहायता की जा सकती है। यह अपने आप में पूर्ण विधि नहीं है और इसका मुकाबला शिक्षक से नहीं किया जा सकता। यह केवल शिक्षा को अधिक पर्याप्त बनाने में सहायता ही दे सकता है लेकिन इसके लिए रेडियो के शैक्षिक कार्यक्रमों की ठीक से व्यवस्था करनी चाहिए। इसके ठीक आयोजन से पाठ्य विषयों के विश्लेषण और परस्पर संबंधों को समझने में सहायता मिल सकती है। इस काम के लिए रेडियो व्यवस्थापकों को प्रसिद्ध साहित्यिक कवियों, वैज्ञानिकों, वक्ताओं, आलोचकों को आमंत्रित कर उनके कार्यक्रमों का प्रसारण कराना चाहिए। इस प्रकार यदि विभिन्न विषयों के उच्च कोटि के विद्वानों की आवाज कक्षा तक पहुंचाई जाए तो छात्रों को काफी लाभ होगा तथा शिक्षक और शिक्षण की कमियां काफी हद तक दूर होंगी। छात्रों को रेडियो कार्यक्रम के बारे में अपने विचार और आलोचनाएं रेडियो स्टेशन पर भेजने के लिए प्रेरित करना चाहिए और उसका प्रसारण करना चाहिए। इससे उनकी लेखन कला सुगठित होगी क्योंकि उन्हें स्वयं अपने लिखे हुए विचारों को सुनने का अवसर मिलेगा। रेडियो द्वारा ताजे समाचारों और खोजों का प्रसारण होना चाहिए। इससे पाठ्य पुस्तकें जो पहले लिखी जा चुकी हैं उनकी कमियों को पूरा किया जा सकता है। पुराने पाठ्यक्रम में नवीनतम घटनाओं के समावेश न होने की कमी रेडियो द्वारा पूरी की जा सकती है।

रेडियो हमारी पाठ्य पुस्तकों की एक और कमी को पूरी कर सकता है। पुस्तकों में सिद्धांतों की व्याख्या होती है और वे वास्तविक जीवन से कम संबंध रखती हैं। रेडियो इसकी कमी विशेष शैक्षिक आयोजनों द्वारा पूरा कर सकता है। इन सब विधियों से शिक्षण व्यवस्था की कुछ कमियों को रेडियो द्वारा दूर करके उसे सुचारू बनाने की सहायता दे सकता है।

रेडियो द्वारा अवकाभा का सदुपयोग– बहुत सी बुराइयों का जन्म मनुष्य के अवकाश के समय होता है। काम में व्यस्त व्यक्ति का ध्यान इधर–उधर नहीं जाता है। अवकाश का सदुपयोग भी आवश्यक कार्य है। आधुनिक समय में व्यक्ति के

अवकाश समय में वृद्धि होती जा रही है। इसीलिए उसके सदुपयोग का प्रश्न भी अधिकाधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है। अवकाश का लाभ उठाने के लिए अच्छे व बुरे दोनों साधन हैं। रेडियो उसमें से एक महत्वपूर्ण साधन है। यदि इसका उचित उपयोग किया जाए तो इससे समय का सदुपयोग होगा अन्यथा इससे भी हानि की संभावना है। स्कूल या घर दोनों ही का कर्तव्य है कि छात्रों को रेडियो द्वारा अपने समय का सदुपयोग करने दें। हर समय फिल्मी गाना सुनना अवकाश का दुरुपयोग है। उन्हें रचनात्मक कार्यक्रमों की ओर आकृष्ट करना चाहिए। इससे धीरे–धीरे बालकों की रुचि में सुधार होगा और वे अवकाश का समय रेडियो के कार्यक्रम द्वारा सदुपयोग कर सकेंगे और मनोरंजन के साथ–साथ अपना ज्ञानवर्धन भी करेंगे।

निर्णय करने की क्षमता– स्कूल का कर्तव्य है कि वह छात्रों में यह निर्णय करने की क्षमता उत्पन्न करे कि कौन से कार्यक्रम उसके हित में हैं और कौन से कार्यक्रमों से उनको हानि हो सकती है। छात्रों में यह निर्णय शक्ति उसे अवांछित कार्यक्रमों से बचने में सहायता देगी और वह अपने लिए उपयोगी कार्यक्रमों को चुनेगा। यदि वह इतनी क्षमता न रखता हो तो अध्यापक का कर्तव्य है कि लाभप्रद कार्यक्रमों को बालक को बतायें। रेडियो के कार्यक्रम विविध प्रकार के होते हैं। इसलिए उनको चुनने की क्षमता छात्रों में उत्पन्न करना शिक्षक का कर्तव्य और उत्तरदायित्व है नहीं तो रेडियो छात्र के लिए हानिप्रद सिद्ध होगा।

रेडियो का लाभदायक उपयोग कैसे करें– रेडियो के कार्यक्रमों को समझाने का उत्तरदायित्व अध्यापक को लेना चाहिए। नहीं तो छात्र कार्यक्रम के शैक्षिक पक्ष के स्थान पर उसके मनोरंजन पक्ष की ओर अधिक आकृष्ट होंगे, क्योंकि रेडियो का मनोरंजन पक्ष उसके शैक्षिक पक्ष से कहीं अधिक प्रबल होता है। छात्र कक्षा में ही रेडियो को सुने जिससे उन्हें शैक्षिक वातावरण में ही रहना पड़े। इससे स्वाभाविक है कि छात्र रेडियो कार्यक्रम के शैक्षिक कार्यक्रम की ओर कुछ अधिक आकर्षित होंगे। मैदान और समूह में रेडियो सुनने से शैक्षिक वातावरण समाप्त हो जाता है। कार्यक्रमों का चयन करने के लिए शिक्षकों को कुछ पक्षों पर विचार करना होगा, उदाहरणार्थ– कार्यक्रम से शिक्षा के किस उद्देश्य को और किस प्रकार पूर्ति होगी? कार्यक्रम में वास्तविकता कितनी है? किस कक्षा के बालकों के लिए कौन–कौन से और किस प्रकार के कार्यक्रम उपयोगी हैं? क्या कार्यक्रम में क्रम और तारतम्य है? कार्यक्रम से छात्र को किस प्रकार आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी? कार्यक्रम की लोकप्रियता किस प्रकार की है? क्या कार्यक्रम की अवधि ठीक है और स्कूल कार्यक्रम में बाधा तो उत्पन्न नहीं होती? कार्यक्रम का बौद्धिक और भावात्मक महत्व क्या और कितना है? यह आवश्यक होगा कि कार्यक्रम के प्रारंभ में विषय का परिचय और कार्यक्रम के अंत में सारांश शिक्षक को बताएं। कार्यक्रम बालकों की आयु और बौद्धिक विकास के अनुरूप होना चाहिए अन्यथा वे उसे ठीक से ग्रहण न कर सकेंगे। यह कार्यक्रम वे रेडियो स्टेशन की कार्यक्रम संबंधी सूचना पुस्तिका को देख करके निश्चित कर सकते हैं और उसी के अनुसार छात्रों को तैयार कर सकते हैं।

रेडियो का प्रयोग कक्षा में शिक्षण के समय ही करना अधिक वांछनीय है और यदि पुस्तक के अध्याय से संबंधित कोई कार्यक्रम रेडियो पर हो तो उसे कक्षा में अवश्य सुनाना चाहिए। आजकल इस संबंध में अनेक रेडियो स्टेशन रुचि प्रदर्शित करने लगे हैं। रेडियो कार्यक्रम की अवधि कम होती है और एक बार कही हुई बात दुबारा दोहराई नहीं जाती। अतः बालकों को रेडियो कार्यक्रम के सुनने के समय शांत रहना चाहिए, अन्यथा वे कार्यक्रम का पूरा लाभ नहीं उठा सकेंगे। छात्रों को यह समझाया जाए कि रेडियो सुनते समय पूरा ध्यान उसी ओर केंद्रित करें और नोट लेने का प्रयास न करें। नोट वगैरह कार्यक्रम के बाद ही तैयार करें। रेडियो कार्यक्रमों का विद्यालय में सीमित उपयोग होना चाहिए और जरूरत से अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। अपनी जरूरतों से रेडियो अधिकारियों को अवगत कराने में शिक्षकों को झिझक नहीं होनी चाहिए। इसलिए रेडियो कार्यक्रमों को सीखने का माध्यम बनाना चाहिए।

टेलीविजन– आज के दौर में टेलीविजन जनसंचार का सबसे ज्यादा शक्तिशाली साधन है। शिक्षा की दृष्टि से टेलीविजन कार्यक्रमों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है।

1. समान्य कार्यक्रम।
2. शैक्षिक कार्यक्रम।

टेलीविजन पर सामान्य कार्यक्रमों के साथ–साथ शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है। टेलीविजन पर प्रसारित किए जाने वाले शैक्षिक कार्यक्रम औपचारिक एवं निरौपचारिक शिक्षा से संबंधित होते हैं। आजकल शैक्षिक कार्यक्रमों के अंतर्गत स्कूली शिक्षा, विश्वविद्यालयी शिक्षा, कृषि शिक्षा व प्रौढ़ शिक्षा संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है स्कूली शिक्षा के लिए पाठों का निर्माण एनसीईआरटी द्वारा तथा विश्वविद्यालयी शिक्षा से संबंधित पाठों का निर्माण यूजीसी द्वारा किया जाता है। खुली शिक्षा के अंतर्गत इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय इस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय लक्ष्यों से संबंधित कार्यक्रम भी इसी के अंतर्गत आते हैं। ये कार्यक्रम जहां छात्रों के लिए जरूरी हैं वहीं आम जन के लिए भी उतनी ही जरूरी व लाभप्रद हैं। दूरदर्शन पर विद्यालयों से जुड़े कार्यक्रमों का प्रदर्शन होता है। इन कार्यक्रमों में विज्ञान के प्रयोगों का प्रदर्शन तो विज्ञान–शिक्षण को एक सार्थकता देता है। दूरदर्शन पर विभिन्न प्रकार के प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम सभी विषयों जैसे भाषा, समाज विज्ञान, विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र आदि से जुड़े होते हैं जो एक प्रकार से बच्चों को सूझबूझ तो देते ही हैं, साथ ही ज्ञान को बच्चों तक पहुंचाते हैं। कक्षा के भीतर इसका अन्य प्रकार से शिक्षा की तकनीक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। कक्षा में समाचार पत्र, पत्रिकाओं आदि की सहायता से शिक्षण जहां विषय को जीवंत बनाता है, वहीं छात्रों का समाज से जुड़ाव भी होता है। विभिन्न प्रकार के शोधों ने कक्षा के भीतर व कक्षा के बाहर इन साधनों के प्रयोग का मूल्यांकन किया व पाया कि शिक्षा के साधन के रूप में इसके परिणाम उत्साहवर्धक हैं। आजकल जिस प्रकार और जिस गति से ज्ञान का विस्तार हो रहा है, उस संपूर्ण ज्ञान को कक्षा के भीतर दे पाना अध्यापक के लिए मुश्किल है। अध्यापक की भी अपनी सीमाएं हैं। इसलिए जनसंचार के ये माध्यम औपचारिक कक्षाओं के पूरक के रूप में काम करते हैं। वास्तविक जीवन में ये इंसान और समाज को आपस में जोड़ते हैं।

चलचित्र या सिनेमा– जनसंचार साधन के अंतर्गत वे चलचित्र आते हैं जो सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा जनचेतना जाग्रत करने के लिए तैयार कराए जाते हैं। जनसंचार के साधन के रूप में जो चलचित्र तैयार किये जाते हैं उन्हें वृतचित्र कहते हैं। मनोरंजन के क्षेत्र में सिनेमा या चलचित्र का आविष्कार, बीसवीं सदी की बड़ी महत्वपूर्ण और शक्तिशाली उपलब्धि है। सिनेमा या चलचित्र ने मनोरंजन के क्षेत्र में एक क्रांति पैदा की है और सभी इसके प्रभाव को स्वीकार करने लगे हैं। अभी तक सिनेमा का विकास व्यावसायिकता से अधिक प्रभावित रहा है। इसका सबसे अधिक प्रयोग मनोरंजन के क्षेत्र में हुआ। लेकिन उसके बावजूद इसके शैक्षिक महत्व से जनता काफी समय से परिचित है और शिक्षा जगत में भी चलचित्रों का उपयोग किया जा रहा है तथा

यह दिन प्रतिदिन प्रगति पर है परंतु दूसरे देशों की बजाय भारत में इसका प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में कम हुआ है। इस संबंध में संसार में अमेरिका सबसे आगे है। वहां शिक्षा के क्षेत्र में इसका काफी प्रयोग होता है। भारत में अभी शैक्षिक फिल्में बहुत कम बन पाई हैं. लेकिन भारत में इस विषय पर काफी ध्यान दिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य सेवा संबंधी, कृषि विभाग कृषि से संबंधित, उद्योग विभाग विभिन्न उद्योगों से संबंधित और सूचना एवं प्रसारण विभाग देश–विदेश की संस्कृति से संबंधित चलचित्रों का निर्माण कराता है। आजकल अपने देश में शैक्षिक चलचित्रों का निर्माण भी कराया जाता है। इन चलचित्रों को सिनेमाघरों में फीचर फिल्मों को दिखाने से पहले दिखाया जाता है और गांवों में आवश्यकतानुसार प्रोजेक्टर द्वारा दिखाया जाता है। अतः चलचित्र या सिनेमा जनसंचार का सशक्त माध्यम है। चलचित्र या सिनेमा से वही लाभ या हानियां होती हैं जिस प्रकार अन्य शिक्षा पद्धतियों से।

चलचित्र के लाभ– ध्वनि और रंग के समावेश के कारण सिनेमा द्वारा जितनी वास्तविकता प्रदर्शित की जा सकती है वह अन्य किसी माध्यम से संभव नहीं है। बाहरी प्रक्रियाओं का कक्षा या स्कूल में प्रत्यक्ष प्रदर्शन केवल चलचित्र द्वारा ही संभव है। जैसे मिलों की भारी मशीनों की क्रिया, निर्माण कार्य के नमूने, युद्ध अथवा सैन्य अभ्यास, इन सबकी वास्तविक कार्यप्रणाली छात्रों को दिखलाने के लिए सबसे सरल और सर्वोत्तम साधन चलचित्र या सिनेमा है। अत्यंत तेज गति से या अत्यंत मंद गति से होने वाली क्रियाओं का व्यावहारिक प्रदर्शन चलचित्रों द्वारा ही संभव है। सिनेमा या चलचित्र के द्वारा विषय की शिक्षा से छात्रों में उस विषय के प्रति रुचि उत्पन्न होती है तथा उसमें लगाव भी बढ़ता है तथा खेल–खेल में ही शिक्षा हो जाती है। पुरानी घटनाओं को चलचित्र के द्वारा दिखाया जा सकता है जैसे आजादी का आंदोलन, नमक सत्याग्रह आंदोलन आदि। कठिन विषयों अथवा मुश्किल या रूखे विषयों को चलचित्र द्वारा आकर्षक ढंग से पढ़ाया जा सकता है। छोटी वस्तु को बड़ी और बड़ी को छोटा रूप प्रदान कर कक्षा में बालकों को दिखाया जा सकता है। जैसे कोई विशाल बांध या जंगल का दृश्य अथवा रक्त संचार अथवा हृदय के कार्य करने की प्रक्रिया का प्रदर्शन। आर्थिक दृष्टि से सस्ता होना। जैसे युद्ध चित्र जो कुछ लाख की लागत में बनाकर लाखों लोगों को दिखाया जा सकता है जबकि वास्तविक रूप में युद्ध क्षेत्र में जाकर अधिक धन और खतरे की संभावना उठाकर ही देखा जा सकता है। मंदबुद्धि और अनपढ़ भी सिनेमा के सहारे सरलता से सीख सकते हैं और इस प्रकार उनके ज्ञान और अनुभव में आवश्यकतानुसार वृद्धि की जा सकती है। विशाल संख्या में लोगों को सिनेमा द्वारा एक ही समय में शिक्षित किया जा सकता है और इसका व्यावहारिक रूप में रूस तथा अमेरिका में सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा रहा है। सौंदर्यनुभूति का अनुभव चलचित्रों द्वारा सरलता से किया जा सकता है। परिणाम और कारण के तथ्य सिनेमा द्वारा आसानी से समझाया जा सकता है। जैसे– बीजारोपण, वृक्ष विकास और फलों का लगना आदि।

चलचित्र की सीमाएं– चलचित्र से संभावनाएं और उपेक्षाएं बहुत अधिक हैं। परंतु उसकी कुछ सीमाएं भी हैं। चलचित्र एक कीमती साधन है। इसका उपयोग गरीब व्यक्ति और संस्थाएं नहीं कर सकती। प्रत्येक संस्था शिक्षा पर इतना व्यय उठाने में समर्थ नहीं होती। चलचित्र का शैक्षिक महत्व की अपेक्षा मनोरंजन का अधिक महत्व है। अतः यह संभावना स्वाभाविक है कि छात्र उसके मनोरंजन के पक्ष में शिक्षा पक्ष की अवहेलना कर जाएं। इसमें यह भी संभावना है कि छात्र किसी विषय पर गलत धारणा बना लें। कभी–कभी समय की अवधि का गलत ज्ञान हो सकता है क्योंकि वर्षों का कार्य सिनेमा द्वारा कुछ ही मिनटों में दिखला दिया जाता है। परस्पर क्रम संबंध समझने में भी गलती हो सकती है जबकि एक के बाद कोई दूसरी घटना दिखलाई जाए। वस्तु आकार तथा संख्या संबंधी ज्ञान में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है क्योंकि चलचित्र या सिनेमा में आकार को बड़ा या छोटा करके दिखाया जाता है। जैसे पहाड़ को छोटे टीले के समान अथवा छोटे नाले को बड़ी नदी के समान आकार में दिखाया जा सकता है। असली शिक्षा वास्तविक रूप में किसी वस्तु के अध्ययन करने से आती है और चलचित्र की उपलब्धता के कारण अध्यापक वास्तविक वस्तु के सुलभ होने पर भी उसे दिखलाने का कष्ट नहीं उठाना चाहते। जैसे शिक्षक चलचित्र द्वारा कारखाने की प्रक्रिया दिखलाना अपने लिए सुविधाजनक समझता है चाहे वह कारखाने भले ही उसके नगर में हो। इसी प्रकार जैसे लोग क्रिकेट का मैच न देखकर कमेंट्री सुन लेते हैं या टीवी पर उसे देख लेते हैं। व्यक्तिगत अध्ययन के लिए चलचित्र सिक्षा पद्धति महंगी होती है। अतः इसका प्रयोग सामूहिक अध्ययन में ही अधिक उपयोगी और कम समय वाला होता है। वर्तमान समय में इतने चलचित्र उपलब्ध नहीं हैं कि उनसे व्यक्तिगत अध्ययन संभव हो सके।

स्कूलों में सिनेमा या चलचित्रों का प्रयोग:– चलचित्र स्कूली शिक्षा के लिए अति आवश्यक साधन है। तथापि पश्चिमी देशों में भी इसका प्रचलन बहुत अधिक नहीं है। पाश्चात्य देशों में विभिन्न विषयों का ज्ञान देने के लिए चलचित्रों का स्कूल में प्रयोग किया जाता है। उसी का अनुकरण हमारे देश में भी किया जा रहा है। यह मानना है कि इस माध्यम के सहारे सामाजिक राजनैतिक, आर्थिक, कृषि संबंधी, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं की शिक्षा सिनेमा द्वारा अच्छी तरह से दी जा सकती है। नये–नये आविष्कारों, खोजों निर्माण कार्यों, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अनुभव छात्रों को चलचित्र के माध्यम से कराया जा सकता है.

अनुभवों से परिणाम निकला है कि सिनेमा की सहायता से घंटों की शिक्षा अल्पसमय में ही छात्रों को देना संभव है और इसके सहारे छात्रों को अधिक से अधिक ज्ञान कम से कम समय में प्राप्त कर सकता है। अतः चलचित्र या सिनेमा के प्रयोग से समय की बचत होती है। चलचित्र द्वारा विभिन्न प्रक्रियाओं और विचारों को संबंधित करना सरल होता है। शिक्षा के क्षेत्र में सिनेमा थोड़ी बहुत वास्तविकता उत्पन्न कर कठिन और मुश्किल विषय में जान डाल सकते हैं। चलचित्र विभिन्न प्रकार से असमर्थ, अपंग और मंदबुद्धि बालकों के हृदय में उत्साह प्रवाहित कर सकते हैं तथा उनकी अनेक प्रकार की शिक्षा से संबंधित कठिनाइयों को दूर करने में बालक सिनेमा या चलचित्र से मंदबुद्धि वाले बालक से ज्यादा लाभ उठा सकता है। वह पृष्ठभूमि और चलचित्र की सीमाएं की सीमाओं का अधिक ज्ञान रखता है। चलचित्र कला में रोचकता और रस बढ़ाते हैं। मंदबुद्धि वाले बालक की शिक्षा में पुस्तकों की बजाय सिनेमा या चलचित्र अधिक सहायक होते हैं इसमें कोई शक नहीं है।

शैक्षिक चलचित्रों के प्रकार– शैक्षिक चलचित्रों के कई प्रकार हैं जैसे डाक्यूमेंट्री, न्यूजरील, फीचर फिल्म आदि। जो चित्र छात्रों को शिक्षा देने के उद्देश्य से निर्मित किये जाते हैं उनको शैक्षिक चित्र कहा जाता है। अमेरिका के अनुसार शैक्षिक चलचित्रों के कई प्रकार हैं जैसे कक्षा चलचित्र, उद्योग संबंधी फिल्म, स्कूल निर्मित फिल्म, जीवनवृत चित्र न्यूजरील और चलचित्र नाटक इनका विवरण संक्षेप में इस प्रकार है।

किसी भी विषय की शिक्षा से संबंधित चलचित्र को हम कक्षा चलचित्र कह सकते हैं। इसका निर्माण उन्हीं के द्वारा होता है जिन्हें स्कूल की व्यवस्था तथा जरूरतों का पूर्ण ज्ञान हो। औद्योगिक चलचित्र उद्योग की आवश्यकताओं विकास, विज्ञापन और मालिक तथा श्रम के मामलों पर आधारित होते हैं। ऐसे चलचित्रों में कुछ ऐसे प्रकरण भी आ जाते हैं जिनमें नग्नता और कामुकता की प्रधानता होती है। अतः इनसे छात्रों पर कुप्रभाव पड़ने की आशंका भी रहती है। इनके प्रदर्शन में सतर्कता बरतना आवश्यक है। स्कूल में निर्मित चित्र स्कूल के कार्य कलापों और शिक्षा तथा खेल की उपलब्धियों पर आधारित होते हैं। शिक्षा देने के उद्देश्य से भी कुछ स्कूल चित्र बनाए जाते हैं। स्कूलों में विज्ञापन के लिए भी कुछ ऐसे चित्र बनाए जा सकते हैं जिनका शासन विशेष रूप से उपयोग करता है। वास्तविक जीवन पर आधारित चित्र जिन्हें डाक्यूमेंट्री फिल्म कहते हैं। सामाजिक, राजनैतिक तथा राष्ट्रीयता के प्रचार के सशक्त साधन हैं और इनका युद्ध काल में या विशेष परिस्थितियों में खुल कर उपयोग होता है। युद्ध तथा शांति दोनों ही अवसरों में सैनिकों और नागरिकों के कर्तव्यों व अधिकारों का प्रचार इन चलचित्रों द्वारा किया जाता है। समाज में इन चलचित्रों का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। न्यूजरील का आधार देश तथा विदेश की घटनाएं होती हैं और जनता को सामाजिक ज्ञान देने में इनका उपयोग किया जाता है। चलचित्र नाटक स्वयं स्पष्ट है। छोटे–छोटे नाटकों पर ऐसे चित्र आधारित होते हैं और इनका सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा समारोहों में उपयोग किया जाता है।

विभोश उपयोग– चलचित्र और सिनेमा का कार्यक्षेत्र प्रतिदिन बढ़ता है और शिक्षण के अतिरिक्त इनका अन्य क्षेत्रों में भी प्रयोग होता है। छात्रों को किसी विशेष धंधे का प्रशिक्षण देना और उसी से संबंधित बातों का ज्ञान इन्हीं फिल्मों से कराया जाता है। इस प्रकार के चलचित्र किसी विशेष धंधे के लिए अनेक प्रकार का ज्ञान रुचि और कौशल की बात बताते हैं। वे धंधे का कार्यक्षेत्र, उसके विकास की संभावनाएं और उसके आर्थिक महत्व का ज्ञान देते हैं। धंधे के राष्ट्रीय सुरक्षात्मक और सामाजिक महत्व का भी अनुभव ऐसे चित्र कराते हैं।

चलचित्रों का प्रयोग पाठ्यक्रम के बाहर की क्रियाओं का अनुभव कराने के लिए भी किया जाता है। अमेरिका में बेसबाल, टेनिस, हॉकी, तैरना, बास्केटबाल, आदि को सिखलाने में इनका खुलकर प्रयोग किया जाता है। विज्ञापन कार्य के लिए स्कूल और अन्य संस्थायें चलचित्रों का प्रयोग करती हैं। चलचित्रों का प्रयोग प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में खूब किया जाता है। चलचित्र द्वारा ऐसे विचार और परिस्थितियां उत्पन्न कराई जाती हैं जिन पर प्रौढ़ों को विचार करने की प्रेरणा मिलती है। कृषि, स्वास्थ्य नागरिकता, सुरक्षा संबंधी अनेक ऐसे चित्रों का अमेरिका में निर्माण हुआ जो प्रौढ़ शिक्षा के लिए सहायक सिद्ध हुए हैं। इसी तरह अंतरराष्ट्रीयता की शिक्षा में भी चलचित्र मुख्य माध्यम के रूप में मौजूद है। अंतरराष्ट्रीय संधियों, सम्मेलनों और आधुनिक अस्त्रों का ज्ञान चलचित्र या सिनेमा द्वारा उपलब्ध हो सकता है। इस प्रकार की अनेक ऐसी फिल्में बनाई हैं जो युद्ध की विभीषिका का दृश्य उपस्थित करती है और युद्ध द्वारा हुई मानवता की हानि का आभास देती हैं।

चलचित्र का पढ़ाने में योगदान– चलचित्र या सिनेमा से पढ़ाने में मदद मिलती है परंतु यह कहना सरासर गलत होगा कि चलचित्र शिक्षक का स्थान ले सकते हैं परंतु चलचित्र द्वारा पढ़ाने में अध्यापक को बहुत सतर्क रहने की आवश्कता है। क्योंकि चलचित्रों का मनोरंजन पक्ष बड़ा प्रबल है और इस बात की आशंका रहती है कि कहीं छात्र शैक्षिक पक्ष को छोड़कर मनोरंजन पक्ष की ओर अधिक आकृष्ट ना हो जाए। इसलिए इसी बात के प्रति विशेष सतर्क रहना होगा और छात्र को यह समझना होगा कि चलचित्र प्रदर्शन का उद्देश्य इस अवसर पर शैक्षिक है ना कि मनोरंजन। इसके प्रयोग में दो मुख्य उद्देश्यों को सामने रखना होगा। सामान्य ज्ञान और कुछ विशेष विषयों का ज्ञान।

विशेष ज्ञान को हम सामान्य ज्ञान की अपेक्षा विशेष कोटि में रख सकते हैं सामान्य ज्ञान का एक उदाहरण इस प्रकार दे सकते हैं कि कक्षा में किसी देश की दशा का वर्णन किया गया हो। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत छात्रों को यह जानना चाहिए कि वहां के छात्र किस प्रकार स्कूलों में शिक्षा पाते हैं, वहां क्या पैदा होता है, वहां की सामाजिक दशा में छात्रों का क्या स्थान है। वहां कौन व्यक्ति राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। इनकी जानकारी सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आती है।

विशिष्ट ज्ञान के अंदर यह जानने की कोशिश की जाए कि वहां रंगभेद की क्या स्थिति है, समाज में स्त्रियों का क्या स्थान है वहां का आयात और निर्यात किन वस्तुओं से संबंधित है इत्यादि। इन बातों को समझाने के लिए अध्यापक को प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार कक्षा में आने से पहले शिक्षक को उस दिन का पाठ तैयार करके आना चाहिए ठीक उसी प्रकार शिक्षक का कर्तव्य है कि पहले स्वयं चलचित्र को देखे और समझ लें और उन अंशों को लिख लें जिनको छात्र को समझाना है। अध्यापक को पहले ही निश्चित कर लेना चाहिए कि किन दृश्यों पर महत्व दें और किन वाक्यों को विशेष रूप से छात्रों को समझाएं। इस पूर्वाभ्यास से न केवल अध्यापक अपने दायित्व को भली भांति निभा सकता है वरन छात्र भी अधिक लाभान्वित होंगे।

अध्यापक को चलचित्र के उचित अवसर और उचित मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि में प्रयोग करने की क्षमता होनी चाहिए। कई विषय कठिन होते हैं और उनके संबंध में चलचित्र तब दिखलाना लाभप्रद नहीं होता जब तक कि बालक उस विषय के विषय में अध्ययन कर सामान्य ज्ञान न प्राप्त कर लें। अनेक वैज्ञानिक एवं ऐतिहासिक विषय इस प्रकार के होते हैं जिसके बारे में यह शंका स्वाभाविक है कि अध्ययन के पूर्व चलचित्र के प्रदर्शन से वे कुछ समझ न सकेंगे।

विद्यार्थियों को यह समझाना आवश्यक है कि उनके संबंध में चलचित्र मुख्यतः शिक्षा के साधन हैं और उनको इसके मनोरंजन के पक्ष पर अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए। जब तक यह धारणा उनके दिल में स्थान नहीं बना लेती तब तक चलचित्र के शिक्षा में प्रयोग से उन्हें अधिक लाभ नहीं होगा और वे मनोरंजन की तरफ झुक जाएंगे। छात्रों को यह भी बताना चाहिए कि शिक्षा के क्षेत्र में चलचित्रों की उपयोगिता की भी एक तय सीमा है और यह शिक्षा उच्च कोटि की प्रेरणा नही दे सकती। छात्रों को आगे भी बहुत कुछ विश्व के संबंध में सीखना पड़ता है और यह प्रेरणा परीक्षण, निरीक्षण, रचनात्मक क्रियाओं, पर्यटन और गंभीर अध्ययन से उत्पन्न होती है। सिनेमा या चलचित्र की उतमत्ता की कसौटी बालक के व्यक्तित्व के विकास की प्रगति है जो चलचित्र जितना अधिक बालक के विकास में योगदान दे उसे उतना ही अच्छा मानना चाहिए और यह छात्रों की परीक्षा के आधार पर जाना जा सकता है।

जनसंचार के सांस्कृतिक साधन–जनसंचार के लिखित व इलेक्ट्रानिक साधनों के अलावा सांस्कृतिक साधन भी सूचना, विचारों तथा मनोरंजन का प्रचार प्रसार देश के हर क्षेत्र में करते हैं। सांस्कृतिक साधनों द्वारा सभ्यता व संस्कृति की शिक्षा के लिए जनसंचार के रूप में प्रयोग किया जाता है। सांस्कृतिक साधनों का अभिप्राय है कि संस्कृति की उन्नति के साथ विकसित होने वाले साधन तथा संस्कृति का प्रचार प्रसार करने वाले साधन। हमारे देश में मुख्यतयाः नाटक, रामलीला, कठपुतली,

सांग, लोकगीत, लोककथा, लोकोक्तियां आदि के माध्यम से संस्कृति अर्थात जीवनशैली को प्रदर्शित किया जाता है। सांस्कृतिक माध्यम व्यक्तियों को वास्तविक जीवन के लिए अपने को तैयार करने में सहायक होते हैं।

सांस्कृतिक जनसंचार साधनों के लाभ– चरित्र निर्माण और सांस्कृतिक विकास की दृष्टि से ये साधन अत्यधिक लाभप्रद हैं तथा सामाजिक विकास में सहायक होती है। ये साधन बच्चों को नैतिक नियमों का पालन करवाना सिखाते हैं। इन साधनों के माध्यम से बालकों के सर्वांगीण विकास में सहायता मिलती है। ये साधन व्यक्तियों को आध्यात्मिकता तथा धर्म की ओर उन्मुख करने में सहायक होते हैं।

सांस्कृतिक जनसंचार साधनों की सीमाएं– आजकल इन साधनों का प्रयोग केवल मनोरंजन के लिए किया जाता है शिक्षा की दृष्टि की नहीं। इनका समाज में प्रचलन दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। इनका प्रदर्शन देर रात तक होने से बच्चे इसका लाभ नहीं उठा पाते।

शिक्षा में जनसंचार साधनों के उपयोग– जनसंचार के साधन शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक लाभदायक होते हैं। जनसंचार के साधनों का उपयोग हम विभिन्न रूपों में कर सकते हैं। शैक्षिक जानकारी को रोचक व अध्ययनशील बनाने में बहुत उपयोगी है। श्रव्य व दृश्य की दृष्टि से ये शिक्षा के सशक्त माध्यम हैं। पिछड़े तथा दूर–दराज के क्षेत्रों में रहने वालों के लिए ये माध्यम बहुत उपयोगी हैं। ये माध्यम छात्रों तथा अध्यापकों के ज्ञान में वृद्धि करने में सहायक हैं। शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार करने की दृष्टि से भी उपयोगी हैं। ये साधन एक युग प्रवर्तक के साथ–साथ सजग प्रहरी की भूमिका भी बहुत अच्छी तरह निभाते हैं। रूढ़िवादी विचारों को बदलने की दृष्टि से काफी लाभदायक है। छात्रों की मानसिक शक्तियों के विकास में सहायक है। सामाजिक परिवर्तन की नींव रखने में भी उपयोगी है। समाज में जागृति लाने की भावना पैदा करने में भी सहायक है। विभिन्न समस्याओं पर विशेषज्ञों की सलाह दिलाना। व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के विषय की जानकारी देकर उसे निरंतर शिक्षा का रूप देना। जनसामान्य को सामान्य कानूनी शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, विकलांगों की समस्याओं व शिक्षा की जानकारी देना, ऐसे स्थानों, कार्यों, वस्तुओं से जनमानस को परिचित कराना जो उनकी पहुंच से बहुत दूर हैं। जनसंचार के उपयोग अनंत हैं जिनका पूरा वर्णन करना काफी कठिन कार्य है। अंत में निष्कर्ष यह निकलता है कि वर्तमान युग जनसंचार का युग है। जनसंचार साधन शिक्षा के शक्तिशाली संवाहक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शैक्षिक जनसंचार साधनों के सही उपयोग के लिए अध्यापक माध्यम बन सकता है और जहां अध्यापक हो वहां ये माध्यम उसका स्थान ले सकते हैं।

सन्दर्भ

Dr. K. John Babu (2010). Role of Radio in Primary Education, Kanishka Publishers, Distributors, New Delhi.

विजेन्द्र कुमार वशिष्ठ (2003). शिक्षा मनोविज्ञान, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।

श्री एम. के. मिश्रा एव वी. पी. शर्मा (2015). भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास, अर्जुन पब्लिशिगं हाउस, नई दिल्ली।

श्री वशगोपाल झींगरन (1974). पाश्चात्य शिक्षा का इतिहास, हरियाणा हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, चण्डीगढ़।

श्री जे. सी. अग्रवाल, श्री एस. गुप्ता (2010). शैक्षिक तकनीकी, शिप्रा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली

श्री आर. पी. पाठक (2010). आधुनिक भारतीय शिक्षा समस्याएँ एवं समाधान, कनिष्क पब्लिर्श, डिस्ट्रब्यूटर्स, नई दिल्ली।

K. Anuradha (1994). Televiaion Viewing its effects on children's personel and educational development, Discovery Publishing House, New Delhi.

डॉ0 शालिग्राम त्रिपाठी (1999). भारतीय शिक्षा का इतिहास, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।

Sh. Janardan Prasad (1999). Modern Media and Educational Practices, Kanishka Publishers, Distributors, New Delhi.

Sh. K.R. Srinivasa (2015). Information and Communication Technology, Navyug Book International, Delhi.

Sh. S.C. Behra (1991). Educational Television Programme, Deep and Deep Publications, New Delhi.

Corresponding Author

Deepak Rathee*

Assistant Director, Creedesh Media Solution Pvt. Ltd., New Dehli

ratheedeepak14@gmail.com